भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2167

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में निपाह वायरस का प्रकोप

†2167.श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में शिगेला, निपाह वायरस और डेंगू के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि से अवगत है और यदि हाँ, तो इसकी प्रतिक्रिया में राज्य को दी गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी ने 2018 से केरल में निपाह वायरस के बार-बार होने वाले प्रकोप की प्रवृत्ति का अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने में उच्च जोखिम वाले राज्यों का समर्थन करने के लिए कोई दीर्घकालिक केंद्रीय रणनीति तैयार की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का केरल सहित राज्यों में बार-बार उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से
निपटने और आवश्यक दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए केंद्रीय वित्तपोषण बढ़ाने या एक समर्पित योजना शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सरकार को केरल में शिगेला, निपाह वायरस तथा डेंगू के रिपोर्ट किए गए मामलों से अवगत है। सरकार एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी)–एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म (आईएचआईपी) के माध्यम से शिगेला, डेंगू तथा निपाह वायरस सहित प्रकोप-प्रवण रोगों की प्रवृत्तियों की निरंतर निगरानी करती है।

'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, अतः जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर,

अवधारित मानदंडों एवं संसाधन सीमा के अधीन, उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय सहायता का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), केरल सरकार तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से वर्ष 2018 से केरल में रिपोर्ट किए गए निपाह वायरस रोग के सभी पुष्ट प्रकोपों की जांच की है।

निपाह वायरस रोग निपाह वायरस से होने वाला एक उभरता हुआ जूनोटिक (पशुजन्य) संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से सूअरों तथा मनुष्यों को प्रभावित करता है। मनुष्यों में संक्रमण सामान्यतः क्लस्टर्स अथवा विशेषकर संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहने वाले लोगों तथा उनकी परिचर्या करने वालों में प्रकोपों के रूप में होता है, इस विषाणु का प्राकृतिक वाहक टेरोपस फ्रूट बैट (फ्लाइंग फॉक्स) को माना जाता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फ्रूट बैट वायरस के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्यों में संक्रमण फ्रूट बैट से मध्यवर्ती होस्ट के माध्यम से अथवा सीधे मनुष्यों में वायरस के संचरण के कारण हो सकता है। भारत में प्रकोप दूषित खाद्य स्रोतों के संपर्क तथा संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क से जुड़े लोगों में पाए गए हैं, जिसके कारण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में समय-समय पर मामले सामने आ सकते हैं।

निपाह वायरस रोग, डेंगू तथा शिगेला की निगरानी, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

केरल राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निपाह वायरस रोग, डेंगू तथा शिगेला की निगरानी, रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु किए गए उपाय

क. निपाह विषाणु रोग

i. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन एवं वन्यजीव प्राधिकरणों, मानव स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा चमगादड़ सर्वेक्षण दलों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप अनुक्रिया दल का गठन किया गया है, जिसे प्रकोप के दौरान समग्र आकलन एवं प्रभावी अनुक्रिया के लिए तैनात किया जाता है।

ii. तैयारी एवं जांच क्षमता सुदृढ़ करने हेतु केरल की विषाणु अनुसंधान एवं नैदानिक प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण, व्यैक्तिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) तथा नैदानिक अभिकर्मकों की उपलब्धता सहित तकनीकी एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की गई है।

iii. तीव्र मस्तिष्कशोथ सिंड्रोम निगरानी तथा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम–एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (आईडीएसपी-आईएचआईपी) के माध्यम से निगरानी को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, घटना-आधारित निगरानी, मीडिया स्कैनिंग एवं सत्यापन तथा जिला एवं राज्य स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों द्वारा प्रकोप की जांच की जाती है।

iv. स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा कार्मिकों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा कर्मियों के लिए जन-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण गतिविधियां संचालित की गई हैं।

v. राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तथा निपाह वायरस रोग सहित जूनोटिक रोगों की समीक्षा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जूनोसिस समितियों का गठन किया गया है।

vi. निपाह वायरस रोग संबंधी एनसीडीसी दिशा-निर्देश, जूनोटिक रोगों पर तकनीकी मार्गदर्शन (सेंटर फॉर वन हेल्थ, एनसीडीसी) तथा निपाह विषाणु रोग संबंधी आईईसी सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है—

• https://ncdc.mohfw.gov.in/nipah-virus-guidelines/

• https://ncdc.mohfw.gov.in/wp-content/uploads/2024/04/Technical-Guidance-on-Zoonotic-Disease.pdf

• https://ncdc.mohfw.gov.in/iec-material-on-zoonotic-disease-nipah/

ख. डेंगू

भारत सरकार द्वारा केरल सहित राज्यों को निम्नानुसार सतत तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है—

i. डेंगू का मामला प्रबंधन, रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी तकनीकी दिशा-निर्देश केरल सहित राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराए गए हैं।

ii. नामित सेंटीनेल निगरानी अस्पतालों एवं शीर्ष संदर्भ प्रयोगशालाओं के माध्यम से निगरानी तथा निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें केरल भी शामिल है। आईसीएमआर–राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा आईजीएम जांच किट उपलब्ध कराई जाती हैं।

iii. शीघ्र निदान, समुचित मामला प्रबंधन, सुदृढ़ रेफरल सेवाएं, महामारी के प्रति तैयारी एवं त्वरित अनुक्रिया तथा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म–वेक्टर जनित रोग पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

iv. समेकित वेक्टर प्रबंधन के अंतर्गत इनडोर स्पेस स्प्रे, बाह्य फॉगिंग, लार्वा-रोधी उपाय, जैव-लार्वीसाइड्स एवं लार्वाभक्षी मछलियों का उपयोग तथा मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करने के उपाय किए जाते हैं।

v. राज्य स्वास्थ्य विभागों, शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य हितधारकों के साथ वेक्टर नियंत्रण एवं सामुदायिक जागरूकता को सुदृढ़ करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

vi. सामाजिक, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियां संचालित की जाती हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस एवं एंटी-डेंगू माह का वार्षिक आयोजन, सामुदायिक स्तर पर कर्मिकों का क्षमता निर्माण तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी किए जाते हैं।

vii. डेंगू संबंधी आईईसी सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है—

https://ncvbdc.mohfw.gov.in/index1.php?font=Increase&lang=1&level=2&lid=4074&sublinkid=5992&utm

ग. शिगेला

आईडीएसपी के सहयोग से केरल सरकार द्वारा निम्नलिखित जनस्वास्थ्य उपाय किए गए हैं—

i. प्रभावित जिलों में प्रकोप के आकलन तथा नियंत्रण उपायों के समन्वय के लिए त्वरित अनुक्रिया दलों द्वारा जांच एवं अंतर-क्षेत्रीय समन्वय बैठकें आयोजित की गईं।

ii. सक्रिय निगरानी, घर-घर भ्रमण, सक्रिय रोगी-खोज, कॉनटैक्ट ट्रेसिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों का फॉलो-अप परीक्षण किया गया।

iii. प्रभावित समुदायों में ओआरएस का वितरण किया गया तथा समय पर उपचार, जल सेवन एवं उपयुक्त मामला प्रबंधन के संबंध में परामर्श दिया गया।

iv. पेयजल स्रोतों का क्लोरीनीकरण एवं सुपर-क्लोरीनीकरण किया गया तथा जल गुणवत्ता, परीक्षण एवं अवशिष्ट क्लोरीन की निगरानी को सुदृढ़ किया गया।

v. पर्यावरणीय स्वच्छता का आकलन एवं खाद्य सुरक्षा निरीक्षण किए गए, जिनमें कुओं, सेप्टिक टैंकों, जल निकासी प्रणाली, अपशिष्ट निपटान तथा खाद्य प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान दिया गया।

vi. स्वास्थ्य शिक्षा, जन-जागरूकता कार्यक्रम, समूह चर्चा एवं आईईसी सामग्री के वितरण के माध्यम से जलजनित रोगों की रोकथाम, हाथों की स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, खाद्य स्वच्छता तथा समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई।

vii. स्वास्थ्य विभाग, केरल जल प्राधिकरण, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया गया है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय निगरानी इकाई राज्य एवं जिला निगरानी इकाइयों के साथ समन्वय करते हुए स्थिति की सतत निगरानी कर रही है।

viii. केरल सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक आईईसी सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://dhs.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2026/06/shigella.pdf
